न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः बीना महावर, आर0ए0एस0)

पत्रावली संख्या : 46/2018 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

जगदीश प्रसाद अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर।

आवेदक

बनाम

1. नरेश अग्रवाल पुत्र दीनानाथ अग्रवाल, उम्र 44 वर्ष, जाति वैश्य मालिक एवं विक्रेता भोलानाथ ट्रेडिग कम्पनी नदबई जिला भरतपुर निवासी वार्ड न0 18 जैन डा0 वाली गली कुम्हेर रोड नदबई
2. प्रेमबाबू गुप्ता प्रो0 गुप्ता इण्डस्ट्रीज, ई–74(बी) रीको इण्डस्ट्रीयल ऐरिया भरतपुर।
3. हंसराज गुलगुलिया पुत्र भोमराज गुलगुलिया नामिनी फर्म उद्योग मंदिर एफ–148–149 विचवाल इण्डस्ट्रीयल ऐरिया बीकानेर निवासी बनियों की गली बनियों का मौ0 बीकानेर।
4. फर्म उद्योग मंदिर एफ–148–149 विचवाल इण्डस्ट्रीयल ऐरिया बीकानेर।

गैरसायलान

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एफएसएसएक्ट 2006 एवं नियम 2011

उपस्थिति :

1. श्री केशव कुमार गोयल, एफ.एस.ओ.
2. गैरसायलान संख्या 1 व 2 वावजूद सूचना अनु0।
3. श्री राजेश गोयल एडवोकेट गैरसायलान संख्या 3

निर्णय

दिनांक : 29.12.202

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 26 की उपधारा 2(ii) एफएसएसएक्ट 2006 एवं लिशन 2011के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायलान प्रस्तुत किया गया है। गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। नियत दिनांक को गैरसायलान संख्या 1 व 2 वावजूद सूचना के अनुपस्थित। गैरसायलान संख्या 3 व 4 के वकील श्री राजेश गोयल उपस्थित। वकील गैरसायलान को इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 20.02.2018 को 12.30 पी0एम0 पर फर्म भोलानाथ ट्रेडिग कम्पनी नदबई जिला भरतपुर का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल की उक्त फर्म पर आम जनता के इस्तेमाल के लिऐ विकय हेतु गत्ते के कार्टुन में एक–एक लीटर की 12 बोतल मूंगफली रिफाईन्ड (नेचुरल ब्राण्ड) की रखी हुई पाई गई। जिनमें मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/157/एक्ट/2018/176 दिनांक 12.03.2018 द्वारा उक्त मूंगफली रिफाईन्ड (नेचुरल ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायलान द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) स्तर का मूंगफली रिफाईन्ड (नेचुरल ब्राण्ड) का विकय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 26 उपधारा 2(ii) U/S 3(1)(zf)(c)(i) of FS&S Act 2006, it is not labeled accordance to regulation No. 2.2.2.(10) of FS&S (Packaging & Labeling) Regulation 2011 का उल्लघंन किया है।

गैरसायलान संख्या 1 एवं 2 वावजूद सूचना के अनुपस्थित। आरोपो को सुन व समझकर वकील गैरसायल संख्या 3 ने कथन किया कि यह प्रोडेक्ट मानव सेवन के लिये कतई हानिकारक नहीं है। जांच में जो कमियां पायी गई है उन्हें सहवनवश भूल एवं प्रथम गलती स्वरूप अप्रार्थीगण स्वीकार करते है। जिसका भी हमने तत्समय ही सुधार कर लिया गया है। गैर सायल यह त्रृटी सहवन से होने के कारण आरोप को स्वीकार करता है। भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुए किसी भी खादय पदार्थ का विकय करेगा। गैरसायल की प्रथम गलती है। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर (राज.)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वकील गैरसायलान के कथनों पर मनन किया। दौराने निरीक्षण गैर सायल की दुकान पर आम जनता को विक्रय हेतु खाद्य वस्तु मूंगफली रिफाईन्ड (नेचुरल ब्राण्ड) का नियमानुसार नमूना लिया जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/157/एक्ट/2018/176 दिनांक 12.03.2018 द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायलान द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) प्रकृति की खाद्य वस्तु विक्रय करके खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) U/S 3(1)(zf)(c)(i) of FS&S Act 2006, it is not labeled accordance to regulation No. 2.2.2.(10) of FS&S (Packaging & Labeling) Regulation 2011 का उल्लघंन किया है। गैरसायल की प्रथम गलती होने के कारण भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति नही किये जाने की चेतावनी गैरसायल को दी जाती है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत गैरसायलान के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर गैरसायलान संख्या 1 को 10,000/–रूपये (दस हजार रूपये) एवं गैरसायलान संख्या 2 को 20,000/–रूपये (बीस हजार रूपये) तथा गैरसायलान संख्या 3 व 4 जो एक ही है को 30,000/–रूपये (तीस हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायलान अर्थदण्ड की राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बीना महावर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
भरतपुर